Win Chaddha Report Concerning Bofors Gun

490. SHRI K. R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have seen the recent Win Chaddha report that appeared in 'The Pioneer' dated 5th July, 1994 concerning the Bofors Gun,

(b) whether it is a fact that, as a result of Bofors Gun Scandal, Government are neither getting the Gun, nor manufacturing it nor getting the Gun, nor manufacturing it nor getting the necessary ammunition for it; and

(c) whether Government would identify the "Other Indian" who is alleged by Mr. Win Chaddha to have been the principal beneficiary of the Bofors Gun Scandal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. All items comprising the contract for the supply of 155 mm FH 77 B Howitzer System with M/s. Bofors have been received.

(c) The Central Bureau of Investigation is investigating the involvement of all persons connected with the case, including the alleged beneficiaries of the payments. The matter is sub-judice in Swiss Courts, at present.

Panchayati Raj

491. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of the States where Panchayati Raj has been established so far; and

(b) the time by when Panchayati Raj will be established in all the States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Pursuant to the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992 all the States and Union Territories where the provisions of the above amendment are applicable have either amended or enacted fresh legislations on Panchayati Raj to conform to the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992. The States and Union Territories are new required to conduct elections to establish Panchayats, wherever elections are due, within a period of six months from the date of the enactment.

गुजरात के ग्रामों में पेय जल की उपलब्ध

492. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार को राज्य से कितनी योजनाएं प्राप्त हुई और कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है ;

(घ) आठवीं पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने वाले प्रस्तावित ग्रामों और नगरों का ब्यौरा क्या है और इसी योजना अवधि में उक्त प्रयोजन के लिए राज्य को कितनी धनराशि का अस्थायी आवंटन किया गया है ; और

(ङ) पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1985 के सर्वेक्षण में पता लगाए गए 4911 समस्याग्रस्त गांवों में से 4902 गांवों में 31.3.1994 तक स्वच्छ पेयजल के एक या अधिक स्रोत उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष 9 समस्याग्रस्त गांवों को 1994–95 के अंत तक कवर कर लिये जाने की सम्भावना है।

(ग) सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त की गई और संस्वीकृत योजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	संख्या
1985–86	124
1986–87	1105
1987–88	356
1988–89	786
1989–90	181
कुल :	2552

(घ) 1992–93 और 1993–94 में 914 गांवों की कवर किया गया है। 1994–95 में 500 गांवों को कवर किए जाने की सम्भावना है। 1995–96 और 1996–97 में कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या का निर्णय इन वर्षों के लिये वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निधियों के परिव्यय के अनुसार लिया जाएगा। राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के लिए आबंटन 27813 लाख रुपये है। गुजरात के लिये 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के लिये केन्द्रीय सहायता का आबंटन 7328 लाख रुपए है। आठवां पचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के आबंटन पर संबंधित वर्षों में निर्णय लिया जाएगा। इस पर अग्रिम रूप से निर्णय नहीं लिया जाता है।

(ङ) गुजरात में 1993–94 के लिये स्वच्छ पेयजल की सुविधा वाली ग्रामीण जनसंख्या की कवरेज हेतु लक्ष्य 6.300 लाख था जिसमें 1.058 लाख अनुसूचित जाति और 0.630 लाख अनुसूचित जनजाति के थे। 500 गांवों को कवर करने का लक्ष्य था। 1993–94 के दौरान इस प्रयोजन हेतु त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि 26.56 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि 56.21 करोड़ रुपये थी।

गुजरात में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आवंटन

493. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वच्छता और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु आवंटित की गई धनराशि का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या-क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों की समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) गुजरात राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण